रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1713] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 4, 2019/ज्येष्ठ 14, 1941
No. 1713] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 4, 2019/JYAISTHA 14, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2019

का.आ. 1918(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2114 (अ), तारीख 24 मई, 2018 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आपत्ति और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को 30 मई, 2018 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पूर्वोक्त प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान (जिसे इसमें इसके पश्चात राष्ट्रीय उद्यान कहा गया है) 28°35′उ अक्षांश और 94°52′पू देशांतर में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सियांग और सियांग जिलों में स्थित है। इसमें पूर्वी हिमालयी जैव-विविधता हॉट-स्पॉट का एक भाग शामिल है और यह दीहंग-दिबांग जैवमंडल रिजर्व का पश्चिमी भाग है;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें उष्णकटिबंधीय और अर्ध सदाबहार उप-उष्णकटिबंधीय बड़ी पत्तियों वाले वन और उप-समशीतोष्ण बड़ी पत्तियों वाले वन सम्मिलित हैं और यहां की प्रमुख वनस्पति उपोष्णकटिबंधीय वन, आर्द्र समशीतोष्ण वन, शंकुधारी वन और बांस वन हैं;

और, इस राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकीय, वानस्पतिक, जीवजन्तु सम्बन्धी और प्राकृतिक महत्व को देखते हुए इसे राज्य की राजपत्र अधिसूचना सं. एफओआर/55/जीईएन/81, तारीख 30 दिसंबर, 1986 के द्वारा अधिसूचित किया था और इसका क्षेत्रफल 483 वर्ग किलोमीटर है और यह उद्यान जेंगिंग में स्थित संभागीय वन कार्यालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है और अलॉग एवं पासीघाट शहर इसके निकटतम शहर हैं जो इससे क्रमशः लगभग 130 किलोमीटर और 185 किलोमीटर की दूरी पर है;

और, इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति और जीवजंतु जैव विविधता को संरक्षण मिलता है और यह 34 महत्वपूर्ण वनस्पति प्रजातियों, 29 जीव-जंतु की प्रजातियों, 25 पक्षी जीव प्रजातियों, 5 उभयचर प्रजातियों, 15 सरीसृप प्रजातियों और 11 मछली प्रजातियों का आश्रय स्थल है और 34 वनस्पति प्रजातियों में *एल्टिंगिया एक्सेला* (जुटली), *टेट्रामेलेस नुडिफ़ेरा* (भेलू), *स्ट्रोबिलैंटेस स्पा., कैनेरियम स्ट्रिक्टम* (धूना), *ट्रिपीना नेपालेंसिस, स्टरकुलिया हैमिल्टोनी-नेक-चेप्टा, मॉलोटस नेपालेंसिस* (लॉसन), *क्रोटोन जोमेफेरा* (महुदी), *इचिनोकारपस एसामिका* (फुल-हीगोरी), *इकोसोरा एसपी.* (जंगल जेरानियम), *जीनोकार्डिया ओडोनाटा* (चोलमुग्रा), *ग्लोब्रा क्लार्किया, हॉजसोनिया मेसोकार्पा, ग्नेटम स्कैन्डेन* (मेझेरगुरि), *बॉम्बैक्स केइबा* (सिमुल), *आर्टकरपस लुकूचा, कास्टानोपिस इंडिका, क्रोटोन ओबोनिफोलियस, क्लोरोडेनड्रन वेकोसोम* (नेफापु), *सिज़ीज़ियम फॉर्मूसम* (जामुन), *सिनामम ग्लौसेंस* (तेजपात), *डुआबांगा ग्रांडीफोलिया* (खोखान), *बिशोफिया जावानीका, टर्मनेलिया मायक्रारपा* (होलोक), *ऐलन्थस ग्रैंडिस* (बोरपत), *पेटरोस्पर्मन एसीरिफोलियम* (हति पैला), *एलाओकार्पस अरिटाटस, कैडिया कैलीसिना, लिटसेया परमांजा, तुलमा हॉजसन, पॉपुलास सिलिएट* (पोप्लार), *क्वार्सस ग्लौका* (ओके), *मैग्नोलिया ग्रिफ्टी और रोडोडेंड्राम एसपी.* सम्मिलित हैं;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः 29 जीवजंतु प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिसके अंर्तगत *मैनीस पैन्टाडैक्टला* (चाइनिस साल), *ताल्पा लेकुरा* (व्हाइट-टेल्ड मोल), *क्रॉसीदुरा एट्यूनेट* (ग्रे श्रिव), *टुपाया बेलेंगेरी* (ट्री श्रिव), *मार्कोग्लोसस सोबिनस* (लॉग-टंगड हिल फ्रूट बैट), *निक्टिकेस कुकांग* (लजीला वानर), *मैकाका एसामेनसिस* (असामेसे मैकाक), *ट्रैकीपिचस पाइपेटस* (कैप्ड लांगुर), *कुओन अल्पाइन* (जंगली कुत्ता), *उर्सस थिबेटनस* (एशियाटिक काला भालू), *मार्टस फ्लेविगूला* (येला थ्रोटेड मार्टिन), *लुट्रा लुट्रा* (सामान्य ऊदबिलाव), *विवररा जिबेटा* (वृहद भारतीय गंध बिलाव), *पैराडोक्सुरस हेर्मैप्रोडिट्स* (सामान्य पॉम गंध बिलाव), *हर्पेस्टेस एडवड्सी* (ग्रे नेवला), *फेलिस चौस* (जंगली बिल्ली), *प्रीओनेलूरस बेंगलेंसिस* (तेंदुआ बिल्ली), *पार्डोफेलिस मार्मोटाटा* (मार्बल्ड कैट), *पैन्थेरा पार्डस* (तेंदुआ), *पेंथेरा टिगरिस* (बाघ), *सस स्क्रॉफ़ा* (जंगली सुअर), *रतुफ़ा बिकोलर* (मलायन विशालकाय गिलहरी), *नामोरेडस सुमरात्रिसिस* (हिमालयन सेरो), *मुनटिकस मुंटजैक* (मुंजक), *कैलोसुरीअयूस पायजेरथ्रस* (होरी-बेलिड गिलहरी), *ड्रीममोइस लोकरिया* (ऑरेंज-बेलिड हिमालयी गिलहरी), *पेटुरिस्ता पेटुरीविस्टा* (कॉमन फ्लाइंग गिलहरी), *बंडीयोटा इंडिका* (लार्ज बैंडीकोट चूहा) और *हिस्ट्रिक्स ब्रेक्यूरन* (चाइनिस साही) सम्मिलित हैं;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान पक्षीजीव समृद्ध है और 25 महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिसके अंर्तगत *लोफरा लिउकोमेलानोस* (कलिज़ तीतर), *पिकस फ़्लविनुचा* (ग्रेटर येला नेप कठफोड़वा), *मेगालाईमा लाइनेट* (लाइनेटेड बारबेट), *हैल्सीन कोरोमंड* (रूडी किंगफिशर), *सेन्ट्रोपस बेंगलेंसिस* (लेसर यूकेकल), *ओटस स्पिलोसेफालस* (माउंटेन स्कोप्स उल्लू), *ड्यूकुला बॅडिया* (माउंटेन इमपेरियल कबूतर), *चाल्कोपॉप्स इंडिका* (एमेरल्ड कबूतर), *स्पिलोर्निस चीला* (क्रास्टेड सरपेंट ईगल), *सीसा चिनेसिस* (ग्रीन मैग्पी), *गार्रुलैक्स पेक्टोरालिस* (ग्रेटर-नेकलेस हंसिंग चिड़िया), *डीक्रुरुस रिमिफेर* (लेजर रैकेट-टैल्ड ड्रोंगो), *चैमार्रोरनिस लुकोसेफालस* (व्हाइट-कैपड वाटर रेडस्टार), *सिट्टा कैसटेनिया* (चेस्टनट-बेलिड नुथैटच), *प्रिनिया हाड्गसोनि* (ग्रे-ब्रेस्टेड प्रिनिया), *एलिस्प रुफोग्युलरिस* (रुफस-थ्रोटेड फुलवेटा), *फाइलोसोकस ट्रोकिलोइड्स* (ग्रीनिश लीफ वॉर्बलर), *सिपीरहिन्चस सुपरक्रिचिस* (स्लेण्डर-बिल्लड स्किमिटोर बब्बलर), *मिनाला इगनोटिंक्टा* (रेड-टेल्ड मिनला), *युहिना कास्टेंनिकेप्स* (स्ट्रेटेड युहिना), *पैराडोक्सोर्निस गुलारिस* (ग्रे-हेडेड पैरोटबिल), *अरचनोथेरा मैग्ना* (स्ट्रेकड स्पाइडर शिकारी), *डेन्ड्रॉनथस इंडीकस* (फॉरेस्ट वेगाटेल), *एंथस रुफुलुस* (पैडीफील्ड पाइपिट) और *लोनचुरा पेनकटुलाटा* (स्केली-ब्रेस्टेड मुनिया) सम्मिलित हैं;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण 20 उभयचर और सरीसृप की प्रजातियों का संरक्षण और आश्रय स्थल है और यहां की 15 सरीसृप प्रजातियां *पिक्साइडिया मुघोटी* (केलबॉक्स कछुए), *गेक्को गेको* (टोके), *पिक्टोलामेस गुलारिस* (ब्लू थ्रोएटेड फ़ॉरेस्ट लिजार्ड), *मुबाय कैरिनटा* (सामान्य सनस्किक), *टैकीड्रोमस सेक्सलाइनेटस* (एशियाई लॉग टेल्ड ग्रास लिजार्ड), *वाराणस बेंगालेंसिस* (मॉनीटर लिजार्ड), *टाईफलोप्स डिआर्डी* (डीआर्ड ब्लाइंड स्नेक), *पायथन मोलुरस बिविटाटस* (बर्मेसे पाइथन), *कोलेगांथस रैडिस* (कॉपरहेड स्नेक), *पारेस मॉन्टिकोला* (असम स्नेल इटर), *पीटास कोरोस* (इंडो-चाइनीस रैट स्नेक), *डेंड्रोलॉफिस पिंक्टस* (पेंटेड ब्रोंज़ेबैक), *बोइगा गोकुल* (ईस्टर्न गामा), *ओफिओफैगस हन्ना* (किंग कोबरा) और *त्रिमेरुसुरुस युआनानेंसिस*- (ग्रीन पिट वाइपर) हैं और 5 उभयचरों की प्रजातियां *दत्ताफ्रीनस मेलानोस्टिक्टस* (कॉमन टोड), *हाला एनेक्टेंस* (भारतीय हीलिड फ्रॉग), *माइक्रोहाला ऑरनेट* (ऑरनामेंटल पिग्मी फ्रॉग), *अमोलोप्स एसेमेन्सीस* (असामेसे कैस्केड फ्रॉग) और रैकोफोरस मैक्सिमस (लार्ज ट्री फ्रॉग) है;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान 11 मछली प्रजातियों का आश्रय स्थल है जिनमें *एंगुइला बेंगलेंसिस* (लांग फिन एयल), *सल्मास्टोमा बेकाइला* (लार्ड रेजर बेली मिन्नोव), *दानियो अक्रीफिनाटस* (डोरिकाना), *बारिलियस बरना* (बरना ब्राइला), *पंटिकस सरना* (चिनीपुथी), *चुगुइनियस चगुनियो* (केंटापुथी), *लेबियो पंगिसिया* (सिलघोरिया), *टोर टॉर* (टोर मोहसीर), *टोर पुतिटोरा* (गोल्डन माहसीर), *गारा गोटयला* (गारा) और *वॉलगो अत्तु* (बोरली) सम्मिलित हैं;

और, यह राष्ट्रीय उद्यान एक दुर्लभ और एक संकटापन्न वनस्पति प्रजाति क्रमशः *सिलौम नुडुम* और *पैरिस पोलीफील्ला* को भी संरक्षण, सुरक्षा और आश्रय प्रदान करता है और इस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ जीवजंतु प्रजातियों, जिनमें सांभर और भालू शामिल हैं और संकटापन्न जीवजंतु प्रजातियों, जिनमें सैरो, गोरल, तकिन, लमचित्ता, काला भालू और लाल पांडा सम्मिलित है का भी आश्रय स्थल है;

और, इस राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति, जीवजन्तुओं और पक्षी-जीवों की विविधता का वास है, और यहां क्षेत्र के स्थानिक वन्यजीवों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षण मिलता है अतः राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमे इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) और धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश राज्य में मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 5.6 किलोमीटर तक विस्तारित 252.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा. —(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 0.5 किलोमीटर से 5.6 किलोमीटर तक 252.0 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

(2) मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न हैं।

(3) भू-मण्डलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांकों की दृष्टि में मॉलिंग राष्टीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध-II** के रूप में संलग्न हैं।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल पृथ्वी मानचित्र **उपाबंध-III** के रूप में संलग्न है।

(5) भू-निर्देशांकों के साथ मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न हैं।

(6) अरुणाचल प्रदेश राज्य में मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति को दर्शाने वाला राज्य मानचित्र **उपाबंध-V** के रूप में संलग्न हैं।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ, एक आंचलिक महायोजना बनाएगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी ।

(3) आंचलिक महायोजना उक्त योजनायें पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को सम्मिलित करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि और बागवानी;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा और इस महायोजना में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और पैराग्राफ 4 में सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित किया जाएगा ताकि स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित किया जा सके।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास; और

(v) बढ़ावा दिए गए और पैरा-4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान करके उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा करके इस रीति से बनाए जाऐंगे कि उसमें इन क्षेत्रों या इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए हानिकारक विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया गया हो।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा;

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी;

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

परन्तु, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी पर्यटन पर जोर देते हुए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर सम्बद्ध विनियामक प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और किसी नए होटल, रिर्सोट या वाणिज्यिक स्थापनों के संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

IndiaCode

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसरण में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों और उसके अधीन समय समय पर बनाए गए संशोधित नियमों को कार्यान्वित करेगा।

(7) **वायु प्रदूषण** .- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ई एस एम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जाएगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन. -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अधीन प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन.-** वाहन-यातायत का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण. -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शित किया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित किए जाएंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सिविल) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी: परन्तु यह कि जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

3.	बड़ी ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी ।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1.0 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परन्तु गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।

12.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) के अधीन अनुज्ञात होगा ।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकार भूमि या राजस्व भूमि या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई की अनुज्ञा नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रह ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण करना।	यह व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उडाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
19.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
20.	रात्रि में सड़क यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
24.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं, बोर कुएं आदि का निर्माण ।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।

25.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति .- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करके एक निगरानी समिति गठित करती है:-

क्र. सं.	**निगरानी समिति का गठन**	**पद**
1.	उपायुक्त, ऊपरी सियांग जिला, यिंगकोनग अरुणाचल प्रदेश	-अध्यक्ष;
2.	सदस्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इटानगर	–सदस्य;
3.	शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि, ऊपरी सियांग जिला, यिंगकोनग, अरुणाचल प्रदेश	–सदस्य;
4.	ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि, ऊपरी सियांग जिला, यिंगकोनग, अरुणाचल प्रदेश	–सदस्य;
5.	लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि, ऊपरी सियांग जिला, यिंगकोनग अरुणाचल प्रदेश	–सदस्य;
6.	अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामित अरुणाचल प्रदेश राज्य की प्रतिष्ठित संस्था या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी तंत्र का विशेषज्ञ	–सदस्य;
7.	प्रकृति संरक्षण (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि जिसे अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामित किया जाएगा	–सदस्य;
8.	प्रभागीय वन अधिकारी, मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान	–सदस्य सचिव।

IndiaCode

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) ऐसे क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारिणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) इसके पैरा 4 के अधीन सारिणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकारियो को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद दायर करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले मे आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध VI** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/188/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर: सीमा भू-निर्देशांक 28°41'7.195" उ; 94°40'17.645" पू के बिंदु से आरंभ होकर, सीमा शिखर बिंदु 2135 के भू-निर्देशांक 28°42'25.358" उ; 94°44'15.594" पू, से लगभग 7.75 किलोमीटर तक 71° पर उत्तर-पूर्व की ओर जाती है। इसके बाद शिखर बिंदु 1500 के भू-निर्देशांक 28°44'6.896" उ; 94°46'53.256" पू से लगभग 5.30 किलोमीटर तक 53° पर जाकर शिखर बिंदु 1190 के भू-निर्देशांक 28°44'16.033" उ; 94°52'56.114" पू से लगभग 11.25 किलोमीटर तक 90° पर जाती है। इसके बाद शिखर बिंदु 1310 के भू-निर्देशांक 28°43'6.438" उ; 94°56'1.680" पू से लगभग 6.25 किलोमीटर तक 113° पर जाती है।

पूर्व: वहां से सीमा भू-निर्देशांक 28°41'20.530" उ; 94°57'36.522" पू के बिंदु से लगभग 4.10 किलोमीटर तक 142° पर जाती है। इसके बाद भू-निर्देशांक 28°38'22.798" उ; 94°59'35.257" पू के बिंदु से लगभग 6.75 किलोमीटर तक 144° पर जाती है, इसके बाद भू-निर्देशांक 28°36'51.080" उ; 95°1'18.570" पू के बिंदु से लगभग 4.40 किलोमीटर तक 131° पर जाती है। इसके बाद भू-निर्देशांक

28°33'38.585" उ; 94°59'39.116" पू कि बिंदु से लगभग 6.80 किलोमीटर तक 209° पर जाती है। इसके बाद, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा बिंदुओं 28°31'55.517" उ; 95°0'15.008" पू; 28°31'24.157" उ; 95°0'13.054" पू और 28°30'59.742" उ; 95°0'38.700" पू, 28°28'27.973" उ; 94°59'54.589" पू से होते हुए उद्यान सीमा के समानान्तर 0.5 किलोमीटर तक जाती है।

दक्षिण: वहां से सीधा पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा बिंदुओं 28°28'46.974" उ, 94°56'17.740" पू; 28°28'28.751" उ, 94°55'7.090" पू; 28°28'26.069" उ, 94°50'1.007" पू; 28°29'44.326" उ, 94°48'53.237" पू; 28°31'19.729 उ, 94°48'39.161" पू; 28°32'2.447" उ, 94°47'20.184" पू, 28°31'59.016" उ, 94°44'13.351" पू और 28°31'11.150" उ, 94°43'11.035" पू, 28°31'16.385" उ, 94°41'50.885" पू से होते हुए राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा के समानान्तर 0.5 किलोमीटर तक जाती है।

पश्चिम: वहां से भू-निर्देशांक 28°33'23.587" उ; 94°41'55.676" पू के बिंदु से लगभग 4.0 किलोमीटर तक 3° पर उत्तर की ओर जाती है। इसके बाद के भू-निर्देशांक 28°41'7.195" उ; 94°40'17.645" पू के आरंभिक बिंदु पर 348° पर जाती है।

उपाबंध- II

मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	देशांतर (पू) (डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारूप)	अक्षांश (उ) (डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारूप)
1	94°42'47.916"	28°29'49.590"
2	94°46'20.777"	28°39'52.675"
3	94°48'40.525"	28°41'56.011"
4	94°52'5.707"	28°41'12.408"
5	94°54'18.266"	28°41'36.823"
6	94°55'1.776"	28°40'38.302"
7	94°56'52.123"	28°37'20.053"
8	94°58'5.934"	28°36'55.793"
9	94°59'21.217"	28°33'32.702"
10	94°59'56.972"	28°31'52.349"
11	94°59'54.190"	28°31'15.622"
12	95°0'20.315"	28°31'0.098"
13	94°59'43.721"	28°28'41.070"
14	94°56'15.371"	28°29'3.620"
15	94°55'12.464"	28°28'44.980"
16	94°50'7.667"	28°28'41.207"
17	94°49'8.065"	28°29'53.930"
18	94°48'55.274"	28°31'35.656"
19	94°47'18.589"	28°32'18.762"
20	94°44'10.018"	28°32'15.011"
21	94°42'59.666"	28°31'25.201"
22	94°42'1.757"	28°31'29.485"
23	94°42'14.015"	28°33'22.273"

IndiaCode

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	देशांतर (पू) (डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारूप)	अक्षांश (उ) (डिग्री मिनट सेकेण्ड प्रारूप)
1	94°40'17.645"	28°41'7.195"
2	94°44'15.594"	28°42'25.358"
3	94°46'53.256"	28°44'6.896"
4	94°52'56.114"	28°44'16.033
5	94°56'1.680"	28°43'6.438"
6	94°57'36.522"	28°41'20.530"
7	94°59'35.257"	28°28'22.798"
8	95°1'18.570"	28°36'51.080"
9	94°59'39.116"	28°33'38.585"
10	95°0'15.008"	28°31'55.517"
11	95°0'13.054"	28°31'24.157"
12	95°0'38.700"	28°30'59.742"
13	94°59'54.589"	28°28'27.973"
14	94°56'17.740	28°28'46.974"
15	94°55'7.090"	28°28'28.751"
16	94°50'1.007"	28°28'26.069"
17	94°48'53.237"	28°29'44.326"
18	94°48'39.161"	28°31'19.729"
19	94°47'20.184"	28°32'2.447"
20	94°44'13.351"	28°32'59.016"
21	94°43'11.035"	28°31'11.150"
22	94°41'50.885"	28°31'16.385"
23	94°41'55.676"	28°33'23.587"

IndiaCode

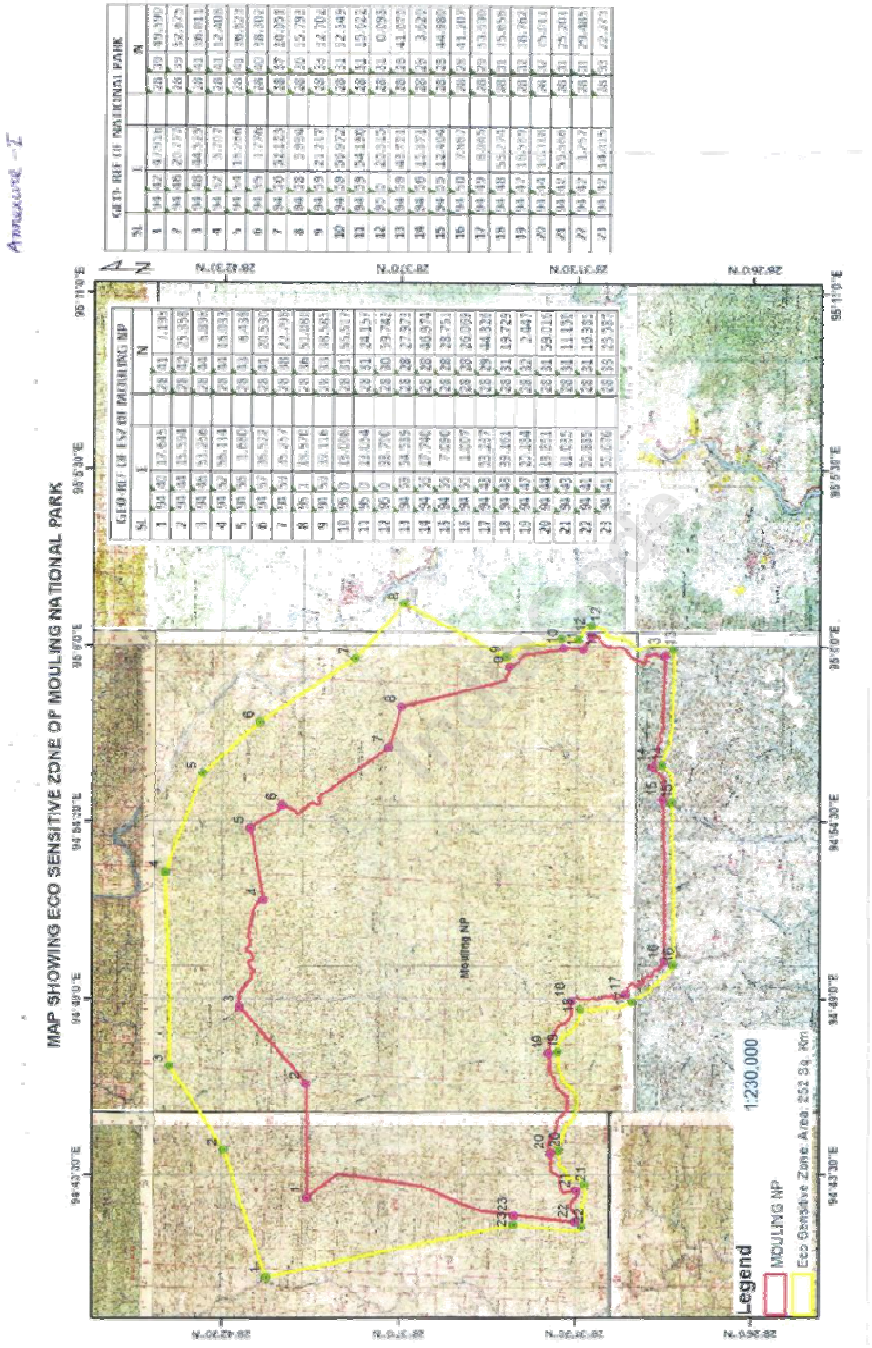
उपाबंध- III

मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल पृथ्वी मानचित्र



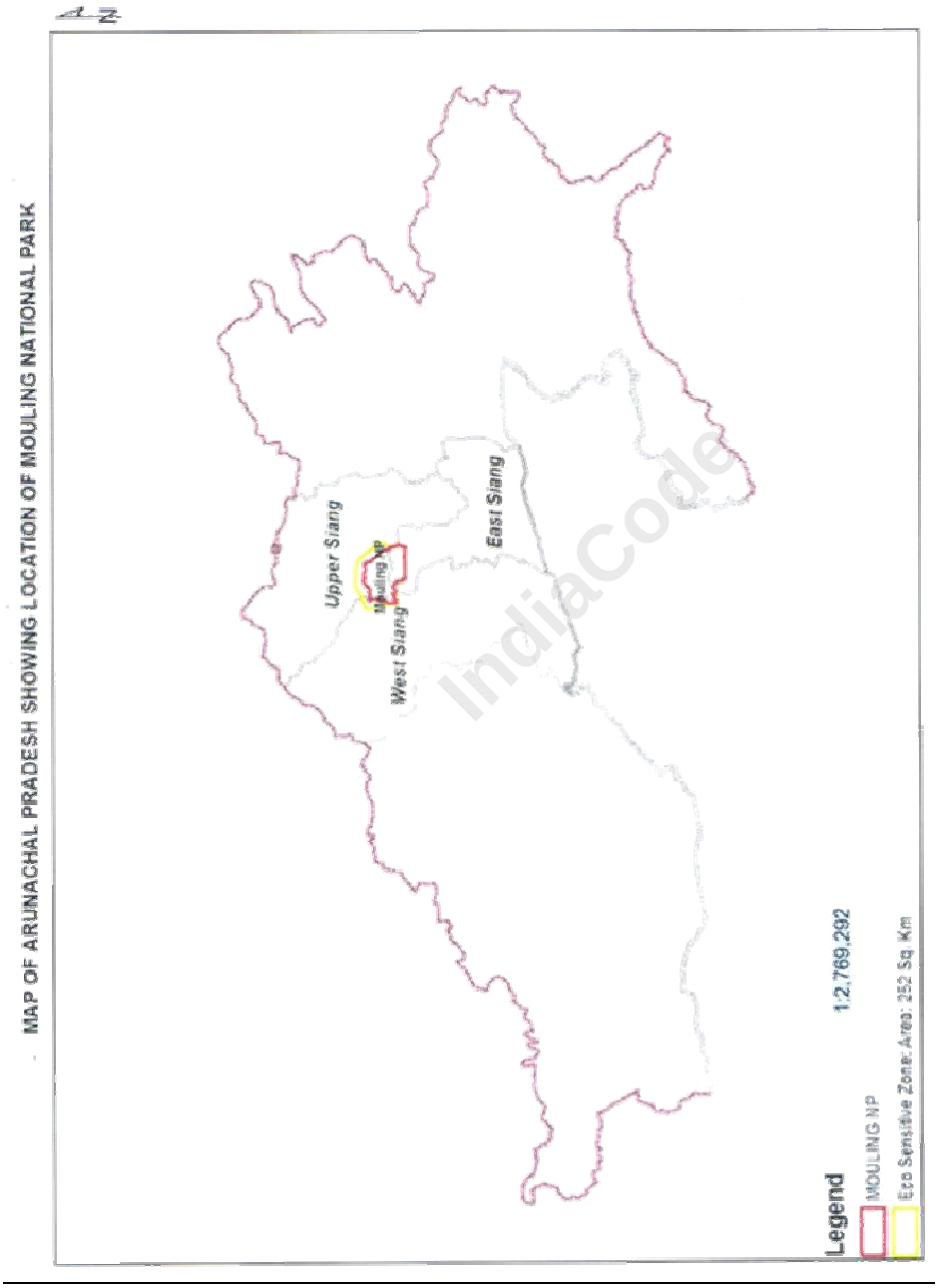
उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध-V

राज्य मानचित्र पर मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अवस्थिति को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-VI

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति: की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:-

1. बैठकों की संख्या और तारीख :
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें)।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। (विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार : (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार : (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार :
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला :

mUjaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2019

S.O. 1918(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2114 (E), dated 24th May, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 30th May, 2018;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification;

WHEREAS, the Mouling National Park (herein after referred to as the National Park) is located at 28°35′N latitude and 94°52′E longitude and situated at Upper Siang and Siang Districts in Arunachal Pradesh, and it covers a part of Eastern Himalayan Biodiversity Hotspot and form the western part of the Dihang-Dibang Biosphere Reserve;

AND WHEREAS, the National Park is represented by various types of forest areas including tropical and semi evergreen sub-tropical broad leaved forest and sub temperate broad leaved forest, and the major vegetations are subtropical forest, wet temperate forests, mix coniferous forests and bamboo forest;

AND WHEREAS, the National Park considering its ecological, floral, faunal and natural significance was notified vide State Gazette notification No. FOR/55/Gen/81, dated the 30th December, 1986, and it is spread over an area of 483 square kilometers, and the Divisional Forest Office situated in Jengging is having the jurisdiction of administration of the said Park and the towns of Along and Pasighat are the nearest towns at distances of 130 kilometers and 185 kilometers, respectively;

AND WHEREAS, the National Park conserves the floral and faunal biodiversity and supports 34 important species of fauna, 29 species of flora, 25 avifaunal species, 5 species of amphibians, 15 species of reptiles and 11 species of fishes, and the 34 species of flora include *Altingia excela* (Jutli), *Tetrameles*

nudifera (Bhelu), *Strobilanthes* sp., *Canarium strictum* (Dhuna), *Turpina nepalensis, Sterculia hamiltonii*- Nak-chepta, *Mallotus nepalensis* (Losan), *Croton joumefera* (Mahudi), *Echinocarpus assamica* (Phul-higori), *Ixora* sp. (Jungle Geranium), *Gynocardia odonata* (Chaulmugra), *Globra clarkia*, *Hodgsonia mesocarpa*, *Gnetum scanden* (Mejherguri), *Bombax ceiba* (Simul), *Artcarpus lakoocha, Castanopsis indica, Croton oblongifolius, Clerodendron vecosum* (Nephaphu), *Syzizium formusum* (Jamun), *Cinamum glaucesence* (Tejpat), *Duabanga grandifolia* (Khokan), *Bischofia javanica, Termnelia myrocarpa* (Hollock), *Ailanthus grandis* (Borpat), *Pterospermun acerifolium* (Hati paila), *Elaeocarpus aristatus, Kydia calycina, Litsea paramonja, Taluama hodgsonii, Populas ciliate* (Poplar), *Quercus glauca* (Oke), *Magnolia griftii* and *Rhododendrum* sp.;

AND WHEREAS, the National Park supports 29 faunal species majorly including *Manis pentadactyla* (Chinese Pangolin), *Talpa leucura* (White-tailed mole), *Crocidura attenuate* (Grey shrew), *Tupaia belangeri* (Tree shrew), *Marcoglossus sobrinus* (Long-tongued hill fruit bat), *Nycticebus coucang* (Slow loris), *Macaca assamensis* (Assamese macaque), *Trachypitchcus pipeatus* (Capped langur), *Cuon alpines* (Wild Dog), *Ursus thibetanus* (Asiatic black bear), *Martes flavigula* (Yellow throated martin), *Lutra lutra* (Common otter), *Viverra zibetha* (Large Indian civet), *Paradoxurus hermaphrodites* (Common palm civet), *Herpestes edwardsii* (Grey mongoose), *Felis chaus* (Jungle cat), *Prionailurus bengalensis* (Leopard cat), *Pardofelis marmorata* (Marbled cat), *Panthera pardus* (Leopard), *Panthera tigris* (Tiger), *Sus scrofa* (Wild pig), *Ratufa bicolor* (Malayan giant squirrel), *Naemorhedus sumatraensis* (Himalayan serow), *Muntiacus muntjak* (Barking deer), *Callosciurus pygerythrus* (Hoary-bellied squirrel), *Dremomys lokriah* (Orange-bellied Himalayan squirrel), *Petaurista petaurista* (Common flying squirrel), *Bandicota indica* (Large bandicoot rat) and *Hystrix brachyuran* (Chinese porcupine);

AND WHEREAS, the National Park is rich in avifauna and supports 25 important bird species including *Lophura leucomelanos* (Kalij pheasant), *Picus flavinucha* (Greater yellow nape woodpecker), *Megalaima lineate* (Lineated barbet), *Halcyon coromanda* (Ruddy kingfisher), *Centropus bengalensis* (Lesser coucal), *Otus spilocephalus* (Mountain scopes owl), *Ducula badia* (Mountain imperial pigeon), *Chalcophaps indica* (Emerald dove), *Spilornis cheela* (Crested serpent eagle), *Cissa chinensis* (Green magpie), *Garrulax pectoralis* (Greater-necklace laughing thrush), *Dicrurus remifer* (Lesser racket-tailed drongo), *Chaimarrornis leucocephalus* (White-capped water redstart), *Sitta castanea* (Chestnut-bellied nuthatch), *Prinia hodgsonii* (Grey-breasted prinia), *Alcippe rufogularis* (Rufous-throated fulvetta), *Phylloscopus trochiloides* (Greenish leaf warbler), *Xiphirhynchus superciliaris* (Slender-billed scimitar babbler), *Minla ignotincta* (Red-tailed minla), *Yuhina castaniceps* (Straited yuhina), *Paradoxornis gularis* (Grey-headed parrotbill), *Arachnothera magna* (Streaked spider hunter), *Dendronanthus indicus* (Forest wagtail), *Anthus rufulus* (Paddyfield pipit) and *Lonchura punctulata* (Scaly-breasted munia);

AND WHEREAS, the National Park conserves and support 20 important species of amphibians and reptiles and the 15 reptile species are *Pyxidea mouhoti* (Keelbox turtle), *Gekko gecko* (Tockay), *Ptyctolaemus gularis* (Blue throated forest lizard), *Mubaya carinata* (Common sunskink), *Takydromus sexlineatus* (Asian long tailed grass lizard), *Varanus bengalensis* (Monitor lizard), *Typhlops diardi* (Diard's blind snake), *Python molurus bivittatus* (Burmese python), *Coeloganthus radius* (Copperhead snake), *Pareas monticola* (Assam snail eater), *Ptyas korros* (Indo-Chinese rat snake), *Dendrolaphis pictus* (Painted bronzeback), *Boiga gokool* (Eastern gamma), *Ophiophagus hannah* (King cobra) and *Trimerusurus yunanensis*- (Green pit viper), and the 5 amphibian species are *Duttaphrynus melanostictus* (Common toad), *Hyla annectans* (Indian hylid frog), *Microhyla ornate* (Ornamental pigmy frog), *Amolops assamensis* (Assamese cascade frog) and *Rhacophorus maximus* (Large tree frog);

AND WHEREAS, the National Park also supports 11 fish species including *Anguilla bengalensis* (Long fin eel), *Salmastoma bacaila* (Large razor belly minnow), *Danio aequipinnatus* (Dorikana), *Barilius barna* (Barna braila), *Punticus sarana* (Chiniputhi), *Chagunius chagunio* (Kentahputhi), *Labeo pangisia* (Silghoria), *Tor tor* (Tor mahseer), *Tor putitora* (Golden Mahseer), *Gara gotyla* (Gara) and *Wallago attu* (Borali);

AND WHEREAS, the National Park also conserves, protect and provides shelter to one rare and one endangered floral species *Psilotum nudum* and *Paris polyphylla*, respectively, and the National Park provides shelter to rare faunal species including Sambar and Bear, and endangered faunal species including Sarow, Goral, Takin, Clouded Leopard, Black Bear and Red Panda;

AND WHEREAS, the National Park is home to a variety of flora, fauna and avifauna, and provides protection to rare and endangered species of wildlife endemic, and hence, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1, around the National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view to protect and propagate the biodiversity therein and its environment, and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 252.0 square kilometers to an extent varying from 0.5 Kilometers to 5.6 Kilometers around the boundary of Mouling National Park in the State of Arunachal Pradesh as Mouling National Park Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) The Eco-sensitive Zone shall be 252.0 square kilometers with an extent varying from 0.5 to 5.6 kilometers around the boundary of Mouling National Park.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone around the Mouling National Park is appended as **Annexure-I.**

(3) Geo-coordinates of the Mouling National Park and its Eco-sensitive Zone in terms of Global Positioning System coordinates are appended as **Annexure-II.**

(4) The Google earth map of Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-III.**

(5) Map of the Mouling National Park Eco-sensitive Zone along with geo-coordinates is appended as **Annexure-IV.**

(6) State map showing the location of Mouling National Park in the State of Arunachal Pradesh is appended as **Annexure-V.**

IndiaCode

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone. - (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture and Horticulture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at clause (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometres from the boundary of the National Park or upto the extent of the Eco-sensitive zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the National Park till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco- sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco- sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco- sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco- sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco- sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes. - Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in the Eco- sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(ii) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco- sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(i) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco- sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(ii) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic Waste Management. - The Plastic Waste Management in the Eco- sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco- sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-Waste. - The E-Waste Management in the Eco- sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units. – (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco- sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco- sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco- sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major thermal and major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Commercial use of fire wood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
		B. Regulated Activities
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.

10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
12.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules, regulations and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.

Indiacode

19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the concerned authority.
25.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco-sensitive Zone: Provided that, based on specific requirement, it shall be regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
36.	Skill development.	Shall be actively promoted.
37.	Restoration of habitat/ degraded land/ forests.	Shall be actively promoted.
38.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring Eco-Sensitive Zone Notification. - For effective monitoring of the provisions of this notification, the Central Government, under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely: -

S.No.	Constituent of Monitoring Committee	Designation
1.	Deputy Commissioner, Upper Siang District, Yingkiong Arunachal Pradesh	Chairman;
2.	Member Secretary, Arunachal Pradesh State Pollution Control Board, Itanagar	Member;
3.	Representative of Urban Development Department, Upper Siang District, Yingkiong, Arunachal Pradesh	Member;
4.	Representative of Rural Development Department, Upper Siang District, Yingkiong, Arunachal Pradesh	Member;
5.	Representative of Public Works Department, Upper Siang District, Yingkiong, Arunachal Pradesh	Member;
6.	One expert in Ecology from reputed institution or university of Arunachal Pradesh State to be nominated by the Government of Arunachal Pradesh	Member;
7.	Representative of non-governmental organisation working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by Government of Arunachal Pradesh	Member;
8.	Divisional Forest Officer, Mouling National Park	Member-Secretary.

IndiaCode

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per performa given in **Annexure VI.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional Measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.-The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No. 25/188/2015-ESZ/RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary description of the Eco-sensitive Zone around the mouling National Park

North: Starting from a point at geo-coordinate 28°41'7.195" N; 94°40'17.645" E, the boundary goes to north-eastwards at 71° for about 7.75 Km up to peak point 2135 at geo-coordinate 28°42'25.358" N; 94°44'15.594" E, thence, at bearing 53° for about 5.30 Km up to the peak point 1500 at geo-coordinates 28°44'6.896" N; 94°46'53.256" E, thence, at bearing 90° for about 11.25 Km up to the peak point 1190 at geo-coordinate 28°44'16.033" N; 94°52'56.114" E, thence, at bearing 113° for about 6.25 Km up to the peak point 1310 at geo-coordinate 28°43'6.438" N; 94°56'1.680" E.

East: Thence, at bearing 142° for about 4.10 Km up to the point at geo-coordinates 28°41'20.530" N; 94°57'36.522" E, thence, at bearing 144° for about 6.75 Km up to the point at geo-coordinates 28°38'22.798" N; 94°59'35.257" E, thence, at bearing 131° for about 4.40 Km up to the point at geo-coordinates 28°36'51.080" N; 95°1'18.570" E, thence, at bearing 209° for about 6.80 Km up to the point at geo-coordinates 28°33'38.585" N; 94°59'39.116" E. Thence, the boundary of Eco-Sensitive Zone goes 0.5 Km parallel to park boundary passing through the points 28°31'55.517" N; 95°0'15.008" E; 28°31'24.157" N; 95°0'13.054" E and 28°30'59.742" N; 95°0'38.700" E, up to the point 28°28'27.973" N; 94°59'54.589" E.

South: Thence, he boundary of Eco-Sensitive Zone goes further 0.5 km parallel to the southern boundary of the National Park passing through the points 28°28'46.974"N, 94°56'17.740" E; 28°28'28.751" N, 94°55'7.090" E; 28°28'26.069"N, 94°50'1.007" E; 28°29'44.326" N, 94°48'53.237" E; 28°31'19.729 N, 94°48'39.161" E; 28°32'2.447" N, 94°47'20.184" E, 28°31'59.016" N, 94°44'13.351" E and 28°31'11.150" N, 94°43'11.035" E, up to the point 28°31'16.385" N, 94°41'50.885" E.

West: Thence, northwards at bearing 3° for about 4.0 Km up to the point at geo-coordinate 28°33'23.587" N; 94°41'55.676" E, thence, at bearing 348° up to the start point at geo-coordinate 28°41'7.195" N; 94°40'17.645" E.

ANNEXURE-II

GEO-COORDINATES OF THE MOULING NATIONAL PARK AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Longitude (E) (Degree Minutes Second Format)	Latitude (N) (Degree Minutes Second Format)
1	94°42'47.916"	28°29'49.590"
2	94°46'20.777"	28°39'52.675"
3	94°48'40.525"	28°41'56.011"
4	94°52'5.707"	28°41'12.408"
5	94°54'18.266"	28°41'36.823"
6	94°55'1.776"	28°40'38.302"
7	94°56'52.123"	28°37'20.053"

8	94°58'5.934"	28°36'55.793"
9	94°59'21.217"	28°33'32.702"
10	94°59'56.972"	28°31'52.349"
11	94°59'54.190"	28°31'15.622"
12	95°0'20.315"	28°31'0.098"
13	94°59'43.721"	28°28'41.070"
14	94°56'15.371"	28°29'3.620"
15	94°55'12.464"	28°28'44.980"
16	94°50'7.667"	28°28'41.207"
17	94°49'8.065"	28°29'53.930"
18	94°48'55.274"	28°31'35.656"
19	94°47'18.589"	28°32'18.762"
20	94°44'10.018"	28°32'15.011"
21	94°42'59.666"	28°31'25.201"
22	94°42'1.757"	28°31'29.485"
23	94°42'14.015"	28°33'22.273"

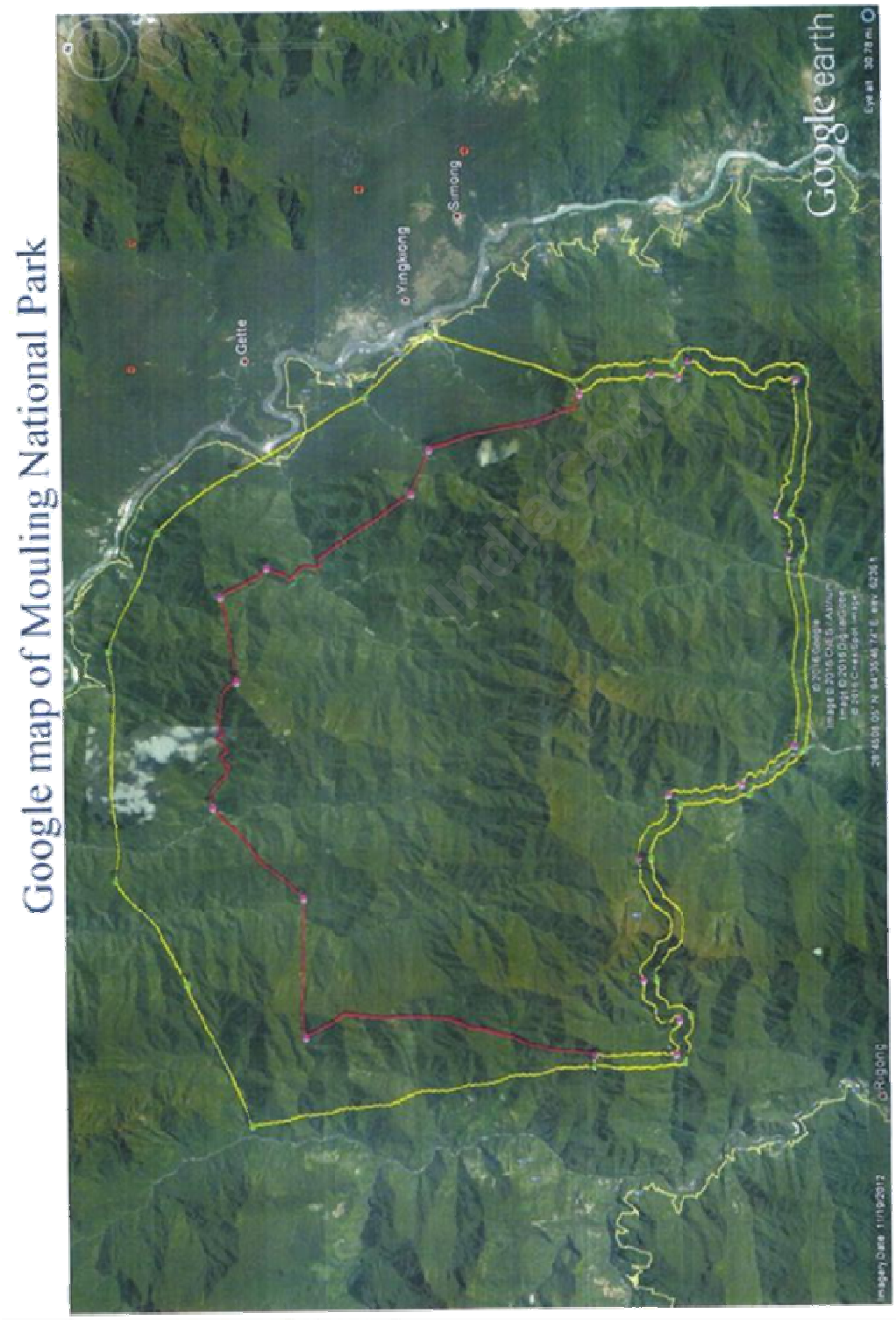
Geo-coordinates of the prominent points on Eco-sensitive Zone Boundary

Sl. No.	Longitude (E) (Degree Minutes Second Format)	Latitude (N) (Degree Minutes Second Format)
1	94°40'17.645"	28°41'7.195"
2	94°44'15.594"	28°42'25.358"
3	94°46'53.256"	28°44'6.896"
4	94°52'56.114"	28°44'16.033
5	94°56'1.680"	28°43'6.438"
6	94°57'36.522"	28°41'20.530"
7	94°59'35.257"	28°28'22.798"
8	95°1'18.570"	28°36'51.080"
9	94°59'39.116"	28°33'38.585"
10	95°0'15.008"	28°31'55.517"
11	95°0'13.054"	28°31'24.157"
12	95°0'38.700"	28°30'59.742"
13	94°59'54.589"	28°28'27.973"
14	94°56'17.740	28°28'46.974"
15	94°55'7.090"	28°28'28.751"
16	94°50'1.007"	28°28'26.069"
17	94°48'53.237"	28°29'44.326"
18	94°48'39.161"	28°31'19.729"
19	94°47'20.184"	28°32'2.447"
20	94°44'13.351"	28°32'59.016"
21	94°43'11.035"	28°31'11.150"
22	94°41'50.885"	28°31'16.385"
23	94°41'55.676"	28°33'23.587"

IndiaCode

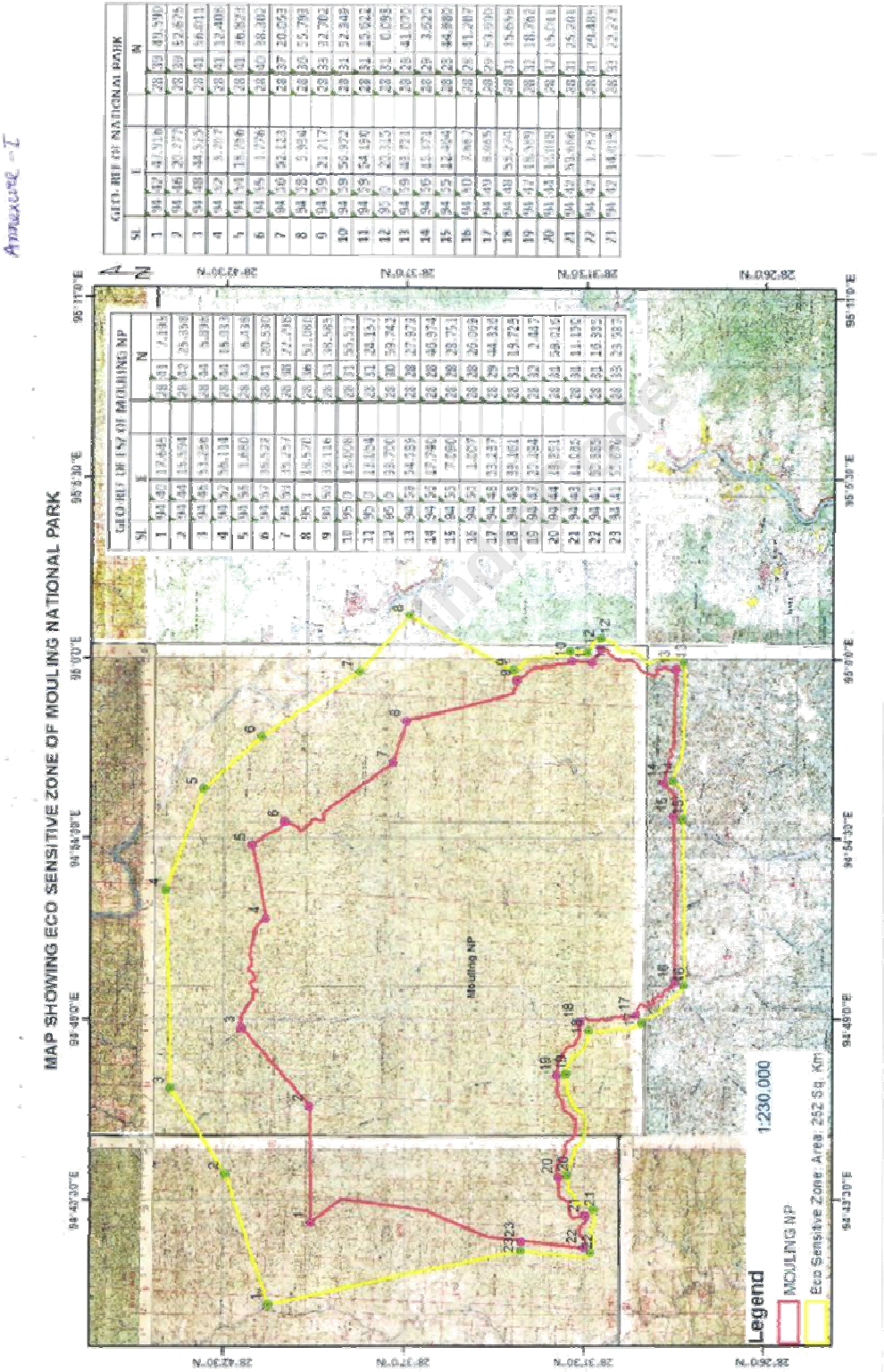
ANNEXURE-III

Google Earth Map of the Mouling National Park and its Eco-sensitive Zone



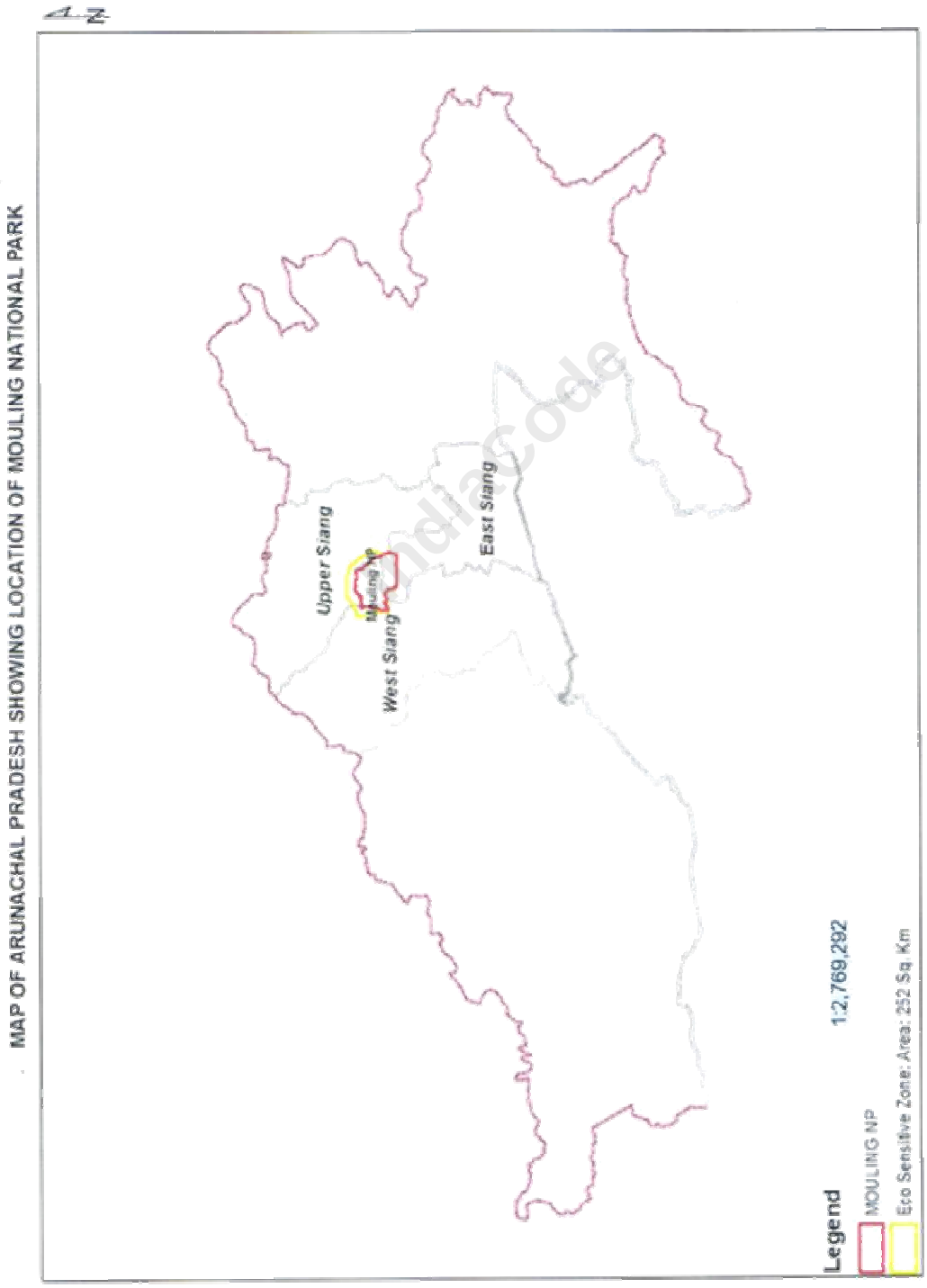
ANNEXURE-IV

Map of the Mouling National Park Eco-sensitive Zone along with geo-coordinates



ANNEXURE-V

Map showing location of Mouling National Park Eco-sensitive Zone on State map



ANNEXURE-VI

Performa of Action Taken Report: Eco-sensitive Zone Monitoring Committee:-

1. Number and date of meetings:
2. Minutes of the meetings: (Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: (Details may be attached as separate Annexure).
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance:

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.06 22:45:25 +05'30'